न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

रमेश कुमार पुत्र हिरालाल जी, जाति- मीणा, निवासी- टिम्बर मार्केट, सुमेरपुर, तहसील- सुमेरपुर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. खुमाराम पुत्र डुंगाराम जी, जाति-मेणा, निवासी-खेजडीया, तह.शिवगंज, जिला-सिरोही
2. केराराम पुत्र डुंगाराम जी, जाति-मेणा, निवासी-खेजडीया, तह.शिवगंज, जिला-सिरोही
3. पनी पुत्री डुंगाराम जी, जाति-मेणा, निवासी-खेजडीया, तह.शिवगंज, जिला-सिरोही
4. श्रीमती रकमादेवी पत्नि डुंगाराम जी, जाति-मेणा, निवासी-खेजडीया, तहसील-शिवगंज
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज

राजस्व अपील संख्या: 41/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 5 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 12 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम खेजडीया, पटवार हल्का केशरपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 834 दिनांक 09.6.2015 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 5 को जारी सम्मन प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 5 को तामिल होकर प्राप्त हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को जारी सम्मन तामिल कुनिन्दा की इस रिपोर्ट के साथ पुन: इस न्यायालय में प्राप्त हुये कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 द्वारा सम्मन लेने से इनकार किया। इस प्रकार, प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4 अनुपस्थित रहने से प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-5 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम खेजडीया, पटवार हल्का केशरपुरा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 136

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म बरसाली 1ए पुराने राजस्व रेकर्ड में डूंगाराम पुत्र ठाकरीराम, जाति- मेणा, निवासी- खेजडीया के नाम दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 136 की रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि को अपीलार्थी ने उक्त कृषि भूमि के तत्कालीन खातेदार डूंगा, दलीया, वीरमा, पूना पुत्रगण ठाकरी जी, जाति- मेणा, निवासीयान- खेजडीया से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.1.2011 के द्वारा कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से मौके पर अपीलार्थी का कब्जा-काश्त लगातार चला आ रहा है, लेकिन उक्त भूमि क्रय करने के बाद अज्ञानतावश अपीलार्थी उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से नामान्तरकरण नही करवा पाया था। दिनांक 07.3.2018 को अपीलार्थी हल्का पटवारी, केशरपुरा के पास उक्त कृषि भूमि का उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु गया तो अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी हुई की विक्रेता खातेदार डूंगाराम की मृत्यु दिनांक 03.4.2013 के पूर्व हो जाने से हल्का पटवारी, केशरपुरा द्वारा खातेदार डूंगाराम के वारिसान (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4) के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 834 दिनांक 07.6.2015 को दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 09.6. 2015 को राजस्व लोक अदालत शिविर में स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि उक्त खसरा संख्या 136 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि पूर्व में राजस्व रेकर्ड में डूंगा, दलीया, वीरमा, पूना पिसरान- ठाकरी मेणा, निवासी- खेजडीया के नाम दर्ज थी। उक्त डूंगा, दलीया, वीरमा, पूना पिसरान- ठाकरी मेणा द्वारा उक्त खसरा संख्या 136 की कृषि भूमि व खसरा संख्या 180 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा भूमि का आपसी सहमति से तहसीलदार, शिवगंज से विभाजन द्वारा बंटवाडा करवाया था व तहसीलदार, शिवगंज द्वारा जारी विभाजन द्वारा बंटवाडा आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 689 दिनांक 27.12.2010 के द्वारा उक्त खसरा संख्या 136 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि डूंगाराम पुत्र ठाकरीराम मेणा, निवासी- खेजडीया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। यह कि अपीलार्थी ने उक्त खसरा संख्या 136 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर तत्कालीन खातेदार से कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से मौके पर अपीलार्थी काबिज काश्त है, जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को थी व बेचान प्रतिफल की रकम भी उनके हित मे प्रयोग व उपभोग ली गई है। उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4 ने जानबूझ कर सही तथ्यों को छुपाते हुए उक्त श्री डूंगाराम पुत्र ठाकरी जी, जाति- मेणा, निवासी- खेजडीया की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 834 अपने पक्ष में दायर करवाकर स्वीकृत करवा लिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं विधि के विरुद्ध है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 834 दिनांक 09.6.2015 को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को निर्देशित किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि आराजी के खातेदार श्री डूंगाराम पुत्र ठाकरी जी, जाति- मेणा, निवासी- खेजडिया की मृत्यु के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरकरण दायर होकर पारित हुआ है।

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम खेजडिया, पटवार हल्का केशरपुरा, तहसील- शिवगंज के खसरा संख्या 136 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि के खातेदार डूंगाराम पुत्र ठाकरीराम मेणा, निवासी- खेजडिया की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, केशरपुरा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 834 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा राजस्व लोक अदालत शिविर में दिनांक 09.6.2015 को स्वीकृत किया गया है। जिसको निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी की ओर से यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.3.2018 को प्रस्तुत की गई है।

जहां तक, यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को, कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी नही होने से अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है एवं अपीलार्थी को नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 07.3.2018 को पटवारी के माध्यम से होने पर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है तथा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भावना पूर्ण है। विधिक दृष्टान्त आर.आर. सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ''मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।'' ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित पाया जाता है।

अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी रमेश कुमार पुत्र हीरालाल जी, जाति- मेणा, निवासी- टिम्बर मार्केट, सुमेरपुर, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली द्वारा ग्राम खेजडिया, पटवार हल्का केशरपुरा के खसरा संख्या 136 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि को उक्त कृषि भूमि के तत्कालीन खातेदार डूंगा, दलीया, बीरमा, पूना पिसरान- ठाकरी जी, जाति- मेणा, निवासी- खेजडिया से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.1.2011 (जो उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज में पंजीकृत है) के द्वारा कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त खसरा संख्या 136 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपीलार्थी ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.1.2011 से कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, लेकिन अपीलार्थी के पक्ष में उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार नामान्तकरण दायर नही किया गया, जो विधि विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम खेजडिया, पटवार हल्का केशरपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 834 दिनांक 09.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

12.07.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही